संख्या:136/2026/742/आठ-1-26-002-1642905

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँकः 21 जुलाई, 2026

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण हेतु गैर-वेतन मद में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-105/2026/463/आठ-1-26-001-1642905, दिनाँक 15 अप्रैल, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुदान संख्या-02 के लेखा शीर्षक-2217 शहरी विकास-80-सहायता-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) में प्राविधानित कुल रु0 1000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपया दो करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त किया गया है।

2- उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पत्र संख्या-6715/यू0पी0 रेरा/लेखा/बजट/2026-27 दिनांक 03.07.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये उपभोग प्रमाण पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-02 के लेखा शीर्षक-2217 शहरी विकास-80-सहायता-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) में प्राविधानित कुल रु0 1000.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपया दो करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत खण्डों/नियमों तथा शासनादेशों में की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जायेगा तथा किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।

(2) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिये गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित कर लिया जाय एवं स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखी जाय। उपकरणों आदि का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किया जाय।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु अधिकरण द्वारा तैयार किये गये देयकों पर सचिव, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करते हुए केवल स्वीकृत मदों के अन्तर्गत किया जायेगा एवं किसी भी दशा में इसका उपयोग अन्य मदों के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

3- गैर वेतन मद में होने वाला व्यय (धनराशि रू0 250.00 लाख) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-002 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-231-X-2026-27 दिनांक 20.7.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या-136/2026/742(1) आठ-1-26-002-1642905 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।

(2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।

(6) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन को इन्टरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।

(9) निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(10) अनुभाग अधिकारी (लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बजट का आवंटन कराने का कष्ट करें।

(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिव पूजन
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in